तो देश हो।

28/6/24 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील
गैर हाजिर हैं। एक-एक बार बार बार
आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज
लगाने के बाद भी वादी व वादी वकील
गैर हाजिर रहे। लिहाजा वादी का वाद
अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर
नत्थी मिसल की जावे। पश्चात दाखिल
हो।